

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी)

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त सोसायटी)

महानिदेशक, (एनआईईएलआईटी) के पद को भरने के लिए विज्ञापन

महानिदेशक, एनआईईएलआईटी, के पद को भरने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (एमईआईटीवाई) ने योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार, के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत, सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास और संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) (पूर्व डीओईसीसी सोसाइटी) को स्थापित किया गया था। नवीनतम तकनीकी से पूर्ण अत्याधुनिक क्षेत्रों में उद्योग उन्मुख गुणवत्ता शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास के अतिरिक्त, एनआईईएलआईटी, आईसीटी के क्षेत्र में दोनों औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा में लगी हुई है। आईसीटी के क्षेत्र में, एनआईईएलआईटी ने परीक्षा और प्रमाणन के लिए देश की प्रमुख संस्था बनने के लिए मानकों को स्थापित करने का प्रयास किया है। यह राष्ट्रीय परीक्षा निकाय में से एक भी है, जो असंगठित क्षेत्र में आईटी में पाठ्यक्रम चलाने के लिए संस्थानों / संगठनों को मान्यता देता है। नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ, सोसायटी के पूरे भारत में तैंतालिस (43) केंद्र हैं।

महानिदेशक, सोसाइटी के समुचित प्रबंधन के लिए रणनीतियों और योजनाओं का विकास करने के लिए सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और प्रशासनिक परिषद / प्रबंधन बोर्ड के फैसले को लागू करने के लिए उनके पास प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां हैं। महानिदेशक: -

- (i) शासी परिषद के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत, योजना, प्रबंधन और एनआईईएलआईटी को चलाते रहने के लिए जिम्मेदार होंगे;
- (ii) आईसीटी की पेशेवर योग्य टीम के समूह और एनआईईएलआईटी केंद्रों पर प्रबंधन कर्मियों तथा 'ओ', 'ए', 'बी' और 'सी' स्तर के पाठ्यक्रमों के मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों के प्रबंधकों, को नेतृत्व करने की आवश्यकता होगी;
- (iii) शैक्षणिक समुदाय, उद्योग और सरकार के अग्रणी आईटी शिक्षा और प्रशिक्षण विशेषज्ञों / अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे;
- (iv) असंगठित क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए आईसीटी के उभरते क्षेत्रों में नई शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने के अतिरिक्त, वह सोसाइटी और इसके केंद्रों के पांच साल की योजनाएं, वार्षिक योजनाओं, बजट आदि को तैयारी करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- (v) इस तरह के प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगे जैसा कि एनआईईएलआईटी के ज्ञापन संघ के नियम, नियमों और विनियमों में या उन्हें समय-समय पर शासी परिषद द्वारा सौंपे जाये।
- (vi) वह शासी परिषद के सदस्य सचिव होंगे।

1. महानिदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) का पद वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 (₹1,82,200/- ₹2,24,100/-) के वेतनमान में सीधी भर्ती/ अवशोषण/ प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) प्रणालियों से भरने का प्रस्ताव है। सीधी भर्ती / अवशोषण के प्रणाली से भरे भर्ती पद का कार्यकाल सेवानिवृत्ति की आयु तक (एनआईईएलआईटी के नियमों के अनुसार) तथा यदि पद प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) प्रणाली से भरा जाता है तो कार्यकाल शुरुआत में 5 साल का रहेगा, या सेवानिवृत्ति की आयु तक जो भी पहले हो, तक होगा।

2. पात्रता मापदंड

शैक्षिक योग्यता और अनुभव

क) सीधी भर्ती

I. आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव: -

(i) शैक्षणिक योग्यताएं:

अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार / दूरसंचार / कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी में या कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में मास्टर्स डिग्री या भौतिकी / डिजाइन / गणित / सांख्यिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स / एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स / संचालन अनुसन्धान / सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन / सूचना प्रौद्योगिकी में एम. एससी डिग्री के साथ योग्यताएं के पश्चात 25 साल का अनुभव।

या

प्रौद्योगिकी / अभियांत्रिकी में मास्टर्स डिग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार/ दूरसंचार / कंप्यूटर विज्ञान में साथ में योग्यताएं के पश्चात 22 साल का अनुभव।

या

उपरोक्त उद्धृत विषयों में से किसी में पीएचडी, साथ में योग्यताएं के पश्चात 17 साल का अनुभव।

(ii) अनिवार्य अनुभव :

उम्मीदवार को कम से कम 5 वर्षों का वरिष्ठ प्रबंधन क्षमता, में अनुभव होना चाहिए।

II. वांछनीय अनुभव: - नीचे दी गई जानकारी का विस्तृत ज्ञान -

- (i) भारत सरकार की नीतियां
- (ii) कॉर्पोरेट प्रबंधन

ख) अवशोषण / प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): -

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकाय के अधिकारी: -

(i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किये हुए ;

या

अपने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 (₹1,44,200 - ₹2,18,200 / -) के वेतनमान में 3 साल की नियमित सेवा के साथ;

तथा

(ii) सीधी भर्ती माध्यम के लिए निर्धारित योग्यता (ओं) और अनुभव, रखने वाले अभ्यर्थी ।

नोट 1: इस नियुक्ति के तुरंत बाद, आयोजित अन्य किसी संवर्ग बाह्यपद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि अनुबंध सहित) उसी संगठन में या अन्य संगठन या केंद्र सरकार के विभाग, आमतौर पर पांच साल से अधिक नहीं होगी।

नोट 2: प्रतिनियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नोट 3: अवशोषण प्रणाली द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. आयु सीमा

आवेदन की अंतिम तिथि पर:

(i) **सीधी भर्ती के लिए:** 50 वर्ष

अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा सीधी भर्ती पद्धति के लिए **55 वर्ष** (यानी **50 + 5 वर्ष** की छूट) होगी ।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा सीधी भर्ती पद्धति के लिए **53** (यानी **50 + 3 वर्ष** की छूट) वर्ष होगी।

(ii) **अवशोषण के लिए:** 56 वर्ष

(iii) **प्रतिनियुक्ति / प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के लिए:** 58 वर्ष

नोट 1: सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली आयु-छूट, समय-समय पर जारी डीओपीटी के निर्देशों के अनुसार शासित होगा।

नोट 2: एमईआईटीवाई के अंतर्गत स्वायत्त सोसाइटी, के सेवारत कर्मचारियों को सीधी भर्ती के मध्यम से, पांच वर्ष की आयु-छूट

नोट 3: आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारतीय उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अंतिम निर्धारित तारीख, जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के पंगी उप-विभाग चंबा जिला, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह या संघ लक्षद्वीप के क्षेत्र)

4. सामान्य:

- (i) आवेदन, सभी मामलों में पूर्ण, प्रमाण पत्रों की साक्षात्कृत योग्यता, अनुभव, जन्म तिथि आदि से संबंधित प्रतियों, के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में, अंतिम तिथि तक या उससे पहले पहुंचना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन बाद होगी।** इसके अतिरिक्त, आवेदन वाले लिफाफे को **"महानिदेशक (एनआईईएलआईटी), पद के लिए आवेदन"** के रूप में उपरोक्त किया जाना चाहिए तथा उप निदेशक (एबीसी प्रभाग), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6-सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली -110003, के नाम भेज दे।
- (ii) असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के पंगी उप-विभाग चंबा जिला, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह या संघ लक्षद्वीप के क्षेत्र के आवेदकों के लिए **अंतिम तिथि आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन बाद की तारीख** होगी।
- (iii) जो लोग सरकारी / पीएसयू / स्वायत्त निकायों में काम कर रहे हैं उन्हें अपना आवेदन उचित माध्यम से भेजना आवश्यक है, साथ में पांच वर्षों के एपीएआर की प्रतियों के साथ तथा सतर्कता / अनुशासनिक स्वीकृति (अनापत्ति) जो किसी ऐसे अधिकारी द्वारा सत्यापित किए गए हों, जो अवर सचिव या समकक्ष के रैंक से नीचे न हो, भी भेजना आवश्यक है। अधिकारी की सत्यनिष्ठा को भी प्रमाण पत्र के साथ प्रमाणित किया जाए कि कहीं उस पर कोई छोटी / बड़ी शास्ति तो अधिरोपित नहीं की गई है।

नोट:

1. ऐसे आवेदन जो विज्ञापन में इंगित न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं और उचित प्रोफार्मा के अनुसार नहीं हैं, को अस्वीकार किया जा सकता है।
2. केवल छांटकर सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को निजी परस्पर संवाद के लिए बुलाया जाएगा। सिर्फ विज्ञापन में निर्धारित आवश्यकताओं की पूर्ति उम्मीदवार को निजी परस्पर संवाद के लिए बुलाए जाने की अर्हता प्रदान नहीं करता है।

इस विज्ञापन से संबन्धित आवेदन प्रपत्र व अन्य विवरण के लिए उम्मीदवार निम्नलिखित वेबसाइटों का भी सन्दर्भ ले सकते हैं ।

www.meity.gov.in; www.persmin.gov.in; www.nielit.gov.in और www.ncs.gov.in.

(नोट- विज्ञापन के किसी भाग की व्याख्या में संदेह अथवा भ्रम की स्थिति में इसका मूल पाठ अर्थात अंग्रेजी वैध माना जाए।)